# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
# पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

**पत्रावली संख्याः– 43 / 2018 / अपील**

बद्रीप्रसाद पुत्र मुरलीधर जाति जाट निवासी ग्राम लोहरवाड़ा तहसील खण्डेला जिला सीकर

**अपीलान्ट**

**बनाम**

तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर

**रेस्पोडेन्ट**

**अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 23.01.2018 मु.न. 292 / 2018 अनुवानी सरकार बनाम बद्रीप्रसाद द्वारा न्यायालय तहसीलदार खण्डेला**

वकील अपीलांट श्री सांवरमल

**निर्णय** **दिनांकः–29.08.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोहरवाडा तहसील खण्डेला जिला सीकर का स्थायी निवासी है। उसके द्वारा दिनांक 26.10.15 को राजकीय माध्यमिक विधालय लोहरवाडा की पूर्वी दिशा में अवस्थित एक किता आवासीय प्लॉट भूमि खसरा नम्बर 1031 तन ग्राम लोहरवाडा में से जरिए इकंरारनामा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। बरवक्त अपीलांट अपने प्लाट को खरीदने से पहले से ही विधालय द्वारा अपनी भूमि पर पक्की दीवार बना ली गई थी तथा अपीलांट ने अपने हक, आधिपत्य के प्लांट पर चार दीवारी निर्मित करवा ली थी। पटवारी हल्का लोहारवाडा द्वारा दिनांक 08.01.2018 को योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के समक्ष अपीलांट के खिलाफ एक निराधर रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि बद्रीप्रसाद पुत्र मुरलीधर जाति जाट निवासी लोहारवाडा द्वारा सम्वत 2074 में भूमि खसरा नम्बर 1031 / 2 रकबा 0.63 हैक्टर में से रकबा 0.006 है0 पर दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 1031 / 2 की खातेदारी रा0मा0विधालय लोहारवाडा के नाम से दर्ज है जो कि उपहार प्रलेख से प्राप्त हुई है तथा साथ ही उक्त रिपोर्ट की पुश्त पर तथाकथित अतिक्रमित रकबे का नजरी नक्शा भी बनाया गया। पटवारी हल्का लोहारवाडा की उक्त रिपोर्ट के आधार पर उसी दिन योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट के नाम धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया जाकर पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 23.01.18 निर्धारित कर दी गई। अपीलांट के नाम अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व जो धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है वह अपीलांट को कभी नहीं मिला तथा न ही उक्त नोटिस पर अपीलांट के कोई हस्ताक्षर है। अपीलांट के नाम जारी किये गये नोटिस पर अपीलांट के नाम से फर्जी हस्ताक्षर किय गये है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट तथा स्कूल के बीच की सीमा

आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.01.2018 अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट को जारी नोटिस पर विधिवत तामिल बावजूद निर्धारित तारीख पेशी पर अपीलांट अनुपस्थित रहा। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम लोहरवाड़ा के खसरा नम्बर 1031/2 रकबा 0.63 है0 किस्म बारानी 3 में से 0.006 है0 पर दीवार बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 21.03.2018 के मुताबिक मौके पर से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। उपरोक्त आराजियात पर अतिक्रमण नहीं होने के सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है जिससे यह साबित किया जा सके कि विवादित स्थल पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है। भूमि बारानी 3 पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः बारानी 3 भूमि पर अपीलांट द्वारा दीवार बनाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 23.01.2018 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official